2011:CGHC:9920

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर

दाण्डिक अपील संख्या 633/2007

<u>अपीलकर्ता</u> : संतोष कुमार और अन्य

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री नीरज मेहता, श्री अरविंद सिन्हा और श्री विष्णु कोष्टा अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री वैभव गोवर्धन पैनल अधिवक्ता राज्य के लिए।

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (1) के तहत दाण्डिक अपील</u>

<u>निर्णय</u>

<u>(23.03.2011)</u>

1. यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती, जिला जांजगीर चांपा द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 207/2006 में दिनांक 13/7/2007 को पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ प्रस्तुत की गई है, जिसमें अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को धारा 363, 366, 376 (2) (छ) और 506 (भाग- II) भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय

अपराधों के लिए दोषी दोषसिद्ध किया गया है और उनमें से प्रत्येक को धारा 363 और 366 के तहत प्रत्येक आरोप में पांच साल के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने, धारा 376 (2) (छ) के तहत दस साल के कठोर कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने और धारा 506 (भाग- II) भारतीय दंड संहिता के तहत तीन साल के कठोर कारावास के तथा व्यतिक्रम किए जाने पर विहित अनुसार दण्डित किया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 11/12/2005 को अभियोक्त्री (अ.सा. -1) द्वारा, जिसकी उम्र उस समय लगभग 18 वर्ष थी, लिखित शिकायत प्रदर्श पी-1 दर्ज कराई गई थी, जिसका आशय यह था कि दिनांक 25.11.2005 को रात के लगभग 1 बजे जब वह शौच के लिए कोला बाड़ी गई थी, अभियुक्त/अपीलार्थी, जिनमें से अभियुक्त संतोष के हाथ में चाकू था, वहां आए, उसे घसीटकर उक्त कोला बाड़ी के बाहर ले गए, उसे धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो उसे खत्म कर देंगे और फिर एक के बाद एक उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। तत्पश्चात्, वे कथित तौर पर उसे एक मोटरसाइकिल पर सक्ति ले गए और वहां से अभियुक्त/अपीलार्थी चंद्र शेखर (यहां अपीलार्थी संख्या 3) उसे ट्रेन से जम्मू ले गया, जहां रेलवे स्टेशन पर उसका चाचा रमेश कुमार चंद्र (अ.सा-4) उससे मिला और उसे देखकर वह भाग गया। तत्पश्चात्, यह कथित है कि उसने तुरंत घटना अपने चाचा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अ.सा-4) को बताई और फिर उसके घर गई और वहां 4-5 दिन रहने के बाद वह उसे वापस उसके घर ले आया जहां उसने पूरी घटना अपने माता-पिता को सुनाई और तब शिकायत दर्ज कराई गई। इस लिखित शिकायत के आधार पर, दिनांक 11.12.2005 को प्राथमिकी (प्रदर्श पी-2) दर्ज की गई और अन्वेषण पूरी होने के बाद 10/2/2006 को पुलिस द्वारा अभियोग पत्र दायर किया गया।

3. अभियुक्त/अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 19 गवाहों का परीक्षण किया है। अभियुक्त/अपीलार्थियों के बयान भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और अपने आप को निर्दोष होने और झूठे फंसाए जाने का अभिवाक् किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षकारों को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थियों को इस निर्णय के कण्डिका क्रमांक 1 में ऊपर बताए अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई है।

5. अभियुक्त/अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह मामला अभियोक्त्री और अभियुक्त/अपीलार्थी संख्या 3 चंद्र शेखर के बीच प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है और अभियुक्त/अपीलार्थी संख्या 1 और 2 अर्थात् संतोष कुमार और चंद्र कुमार उर्फ लुशू ने कथित कृत्य में केवल उसकी सहायता

की थी। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी दर्ज कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि स्वीकार्य रूप से संलग्न समय पर अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष थी और इसलिए उनके विरुद्ध धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं बनता है। जहां तक धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का संबंध है, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि अभियोक्त्री द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी उसे अभियुक्त/अपीलार्थी संख्या 3 से शादी करने के लिए ले गए थे, इसलिए इस धारा के तहत उनकी दोषसिद्धि भी अवैध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, उत्तरवादी के अधिवक्ता ने आपेक्षित निर्णय का समर्थन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार से अभियोक्त्री का अपहरण किया गया और अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा जबरन यौन संबंध बनाए गए उसे देखते हुए आपेक्षित निर्णय में कोई अवैधता नहीं है।

7. अभियोक्त्री (अ.सा-1) ने अभिकथन किया है दिनांक 25/11/2005 जब वह कोला बाड़ी गई थी, तब अभियुक्त/अपीलकर्ता संख्या 2, अर्थात् चंद्र कुमार उर्फ लुशु ने उसका मुँह दबा लिया था, जबकि अभियुक्त/अपीलकर्ता संख्या 1 और अभियुक्त/अपीलकर्ता संख्या 3 चंद्र शेखर वहाँ मौजूद थे। उसके बाद वे उसे कोला बाड़ी ले गए, जहाँ अभियुक्त/अपीलकर्ता संख्या 3 चंद्र शेखर और अन्य

अभियुक्तों ने उसके साथ बलात्कार किया, और उस समय अभियुक्त/अपीलकर्ता संख्या 2 चंद्र कुमार उर्फ लुशु उसका मुँह दबा रहा था, जिससे उसकी चीखें बाहर नहीं आ सकीं। फिर इस गवाह के अनुसार, अभियुक्त/अपीलकर्ता संख्या 1 संतोष कुमार ने उसके कपड़े उतारकर उसके साथ यौन संबंध बनाए। उसके बाद वे उसे एक मोटरसाइकिल पर सक्ति ले गए, जिसे अभियुक्त/अपीलकर्ता चंद्र कुमार उर्फ लुशु चला रहा था, वहाँ से अभियुक्त/अपीलकर्ता संतोष और चंद्र कुमार उर्फ लुशु वापस आ गए, जबकि अभियुक्त/अपीलकर्ता संख्या 3 संतोष कुमार चंद्र शेखर उसे ट्रेन से जम्मू ले गया। उसने आगे कहा कि जम्मू में 4-5 दिन बिताने के बाद, उसके चाचा रमेश चंद्र (अ.सा -4) उससे मिले, और उन्हें देखते ही अभियुक्त/अपीलकर्ता चंद्र शेखर भाग गया, तब उसने यह पूरी घटना अपने चाचा को बताई। उसने आगे कहा कि अपने चाचा के घर 4-5 दिन रहने के बाद, वह उसे घर छोड़ने आए, जहाँ उसने यह पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई और उसके एक दिन बाद थाना जैजैपुर में उसके द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर उसके हस्ताक्षर थे। इसके बाद, उसकी सहमति से, उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया और उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी -4 तैयार किया गया। प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने स्वीकार किया कि दिनांक 25/11/2005 को हुई घटना के बाद वह अभियुक्त/अपीलकर्ता चंद्र शेखर के साथ जम्मू गई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थी और तब से उसने किसी से बात नहीं की। उसने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता चंद्र शेखर अक्सर उसके घर आता था और वह उससे प्यार करती थी। अभियोजन पक्ष द्वारा उससे पूछे गए विभिन्न सुझावों को भी गवाह ने अस्वीकार कर दिया है। उसने स्वीकार किया है कि इससे पहले किसी ने भी उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाए थे। उसने आगे स्वीकार किया कि यदि किसी लड़की के साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं, तो रक्तस्राव शुरू हो जाता है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि कोला बाड़ी में जहां घटना हुई, वहां पौधे और सब्जियां उगना आम बात है। अभियुक्त/अपीलकर्ता चंद्र शेखर के साथ हुए यौन संबंध के संबंध में, अभियुक्त/अपीलकर्ता चंद्र कुमार उर्फ लुशु ने उसका मुँह दबा रखा था और अभियुक्त/अपीलकर्ता संतोष कुमार ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे, ये सभी बातें उसने अपनी लिखित शिकायत, प्रथम सूचना प्रतिवेदन और पुलिस कथन में बताई हैं और यदि वे उनमें उल्लिखित नहीं हैं, तो वह इसका कारण नहीं बता सकती। उसने स्वीकार किया है कि अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा यौन संबंध बनाए जाने के बाद उसे बहुत अधिक रक्तस्राव हुआ था। अभियुक्त/अपीलकर्ता संतोष के अनुसार, अभियुक्त/अपीलकर्ता चंद्र कुमार उर्फ लुशु और चंद्र शेखर उसका मुँह और हाथ दबा रहे थे। उसने कहा है कि मोटरसाइकिल से सक्ति ले जाते समय, उसने रास्ते में मिले किसी भी व्यक्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को घटना के बारे में नहीं बताया क्योंकि अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसने आगे कहा है कि सक्ति पहुँचने के बाद उन्हें तुरंत जम्मू के लिए ट्रेन नहीं मिली और वे अगले दिन ही ट्रेन में सवार हुए। इस गवाह के अनुसार, सक्ति रेलवे स्टेशन पर उनके ठहरने के दौरान कई ट्रेनें गुजरीं, यात्री अंदर-बाहर हो रहे थे, लेकिन चूंकि अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने उसे धमकी दी थी, इसलिए उसने किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताया। उसने कहा है कि जिस ट्रेन में वे सक्ति से सवार हुए थे, वह जम्मू तक सीधी नहीं थी। इस गवाह के अनुसार, दिल्ली तक की यात्रा के दौरान न तो उसने शौच किया और न ही कोई नाश्ता किया। उसके अनुसार, अभियुक्त चंद्र शेखर ने उसे चाकू दिखाकर धमकी दी थी। उसने सक्ति में किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताया, ये सभी बातें उसने लिखित शिकायत, प्रथम सूचना प्रतिवेदन और पुलिस बयान में बताई थीं, लेकिन इन बातों का उसमें उल्लेख नहीं है, तो वह कारण नहीं बता सकती। उसके अनुसार, जब वे सक्ति में ट्रेन में सवार हुए, तो उसे नहीं पता था कि उसे जम्मू ले जाया जा रहा है। उसने स्वीकार किया है कि जम्मू में न तो उसने और न ही उसके चाचा ने कोई शिकायत दर्ज कराई और यद्यपि वह चाचा के घर 4-5 दिन रही, उन्होंने उसके माता-पिता को उसकी उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उसके अनुसार, अपने चाचा के साथ अपने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माता-पिता के घर पहुँचने के बाद ही उसने घटना का खुलासा अपने माता-पिता के सामने किया। इस गवाह ने आगे कहा है कि अपने माता-पिता के घर पहुँचने के दूसरे दिन, पुलिस थाना में उसके द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई और उसके 18-20 दिन बाद उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। उसने इस तथ्य से अनभिज्ञता व्यक्त की है कि उसके चाचा ने उसे और अभियुक्त चंद्र शेखर से कहा था कि चूंकि वे किसी को बताए बिना जम्मू के लिए निकल गए थे, इसलिए घर पहुँचने के बाद वह उनकी शादी करवा देंगे और बदनामी के डर से, उसके चाचा ने पहले अभियुक्त/अपीलकर्ता चंद्र शेखर को वापस भेज दिया और 4-5 दिन बाद उसे घर ले आए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जमुना बाई (अ.सा-2)-अभियोक्त्री की माँ ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के दिन जब वह अपने पति के साथ बरामदे में सो रही थी, तो उसके पति ने उससे कहा कि अभियोक्त्री अपने चारपाई पर नहीं है और जब खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला, तो गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई और उसके 10-15 दिन बाद उसका देवर उसे घर ले आया। इस गवाह के अनुसार, अभियोक्त्री के आने के बाद उसने उसे पूरी घटना सुनाई और उसके 7-8 दिन बाद शिकायत दर्ज कराई गई। यह गवाह स्वीकार करती है कि आरोपी चंद्र शेखर उसकी जाति का है और वह उसके गाँव का निवासी

होने के कारण उसे बचपन से जानता था। उसने स्वीकार किया है कि कोला बाड़ी में पौधे उग आए थे और ईंटों के टुकड़े और कंकड़ बिखरे हुए थे। अपने बयान के कण्डिका 8 में, इस गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसका देवर रमेश चंद्र अपनी आजीविका के लिए जम्मू में रह रहा था और वे अक्सर बात करते थे। उसने कहा है कि अभियोक्त्री के लापता होने के दूसरे दिन ही उसके देवर को भी सूचित कर दिया गया था, जिसने बदले में उसे सूचित किया था कि वह उसके साथ है। इस गवाह के अनुसार, उसके देवर ने उसे यह भी सूचित किया था कि अभियोक्त्री को अभियुक्त/अपीलकर्ता चंद्र शेखर द्वारा जम्मू ले जाया गया था। बलभद्र प्रसाद (अ.सा-3) अभियोक्त्री के पिता ने कहा है कि उसकी बेटी दिनांक 25/11/2005 की रात से लापता थी और दिनांक 10/12/2005 को उसके भाई द्वारा वापस लाए जाने के बाद, उसने उसे पूरी घटना सुनाई। इस गवाह के अनुसार, दिनांक 26/11/2005 को ही पुलिस थाना जैजैपुर में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस गवाह ने इस तथ्य से इनकार किया है कि उसने अपने भाई को जम्मू में अभियोक्त्री के लापता होने के बारे में सूचित किया था। उसने कहा है कि उसे इस तथ्य के बारे में जानकारी नहीं थी कि घटना के तीन दिन बाद उसके भाई ने उसे अपने पास अभियोक्त्री की उपस्थिति के बारे में सूचित किया था। उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि चूंकि अभियोक्त्री

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और अभियुक्त/अपीलकर्ता चंद्र शेखर के भाग जाने की खबर गाँव में फैल गई थी, इसलिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रमेश कुमार चंद्र (अ.सा-4) अभियोक्त्री के चाचा, जो उस समय जम्मू में रह रहे थे, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 28/11/2005 को जब वह रेलवे स्टेशन के रास्ते अपने कार्यस्थल पर जा रहा था, तो उसने अभियोक्त्री और अभियुक्त/अपीलकर्ता चंद्र शेखर को देखा और जब उसे देखकर अभियुक्त चंद्र शेखर भाग गया, तो अभियोक्त्री ने उसे पूरी घटना सुनाई। यह गवाह यह भी स्वीकार करता है कि जम्मू के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी और दिल्ली में ट्रेन बदलकर वहाँ पहुँचा जा सकता था। वह आगे स्वीकार करता है कि उसने अभियोक्त्री और आरोपी चंद्र शेखर को जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 8 बजे देखा था, जबकि सामान्य रूप से ट्रेन सुबह 5-6 बजे जम्मू पहुँचती थी और दिल्ली से जम्मू ट्रेन से पहुँचने में करीब 12 घंटे लगते हैं। इस गवाह ने कहा है कि हालाँकि अभियोक्त्री उसके साथ करीब 4-5 दिन तक रही, उसने इस अवधि के दौरान गाँव में अपने किसी भी रिश्तेदार को इसके बारे में सूचित नहीं किया था। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अपने भाई और भाभी को जम्मू में अभियोक्त्री की उपस्थिति के बारे में सूचित नहीं किया था। उसने इस तथ्य से इनकार किया है कि वह अपने रिश्तेदारों से टेलीफोन पर बात करता था। वह स्वीकार करता है कि यदि रेलवे स्टेशन या ट्रेन में कोई अपराध किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाता है, तो मामले की शिकायत करना होता है, लेकिन इस मामले में, हालाँकि अभियोक्त्री द्वारा उसे घटना सुनाई गई थी, उसके द्वारा इसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई और वह इसका कारण नहीं बता सका। उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि चूंकि अभियोक्त्री आरोपी चंद्र शेखर से प्यार करती थी, इसलिए उसके द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। टुंडी लाल (अ.सा-5) प्रदर्श पी -5 के तहत अभियोक्त्री के कपड़ों की जब्ती का गवाह, ने मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित किया है। यदियुस कुजूर (अ.सा-6) वह गवाह है जो अभियोक्त्री को चिकित्सा परीक्षण के लिए ले गया था और उसके कपड़े रासायनिक परीक्षण के लिए प्रदर्श पी -7 के माध्यम से भेजे थे। वह प्रदर्श पी -8 के माध्यम से योनि स्लाइड जब्त करने का भी गवाह है। यह गवाह अभियुक्त/अपीलकर्ताओं चंद्र कुमार उर्फ लुशु और संतोष को भी प्रदर्श पी-10 और पी-11 के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले गया था। हालांकि, उसने अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के खिलाफ कुछ भी विशिष्ट रूप से नहीं कहा है। मैनुअल मिंज (अ.सा-7) वह पुलिस आरक्षक है जो प्रदर्श पी -12 और प्रदर्श पी -13 के माध्यम से कुछ सामान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण के लिए ले गया था, जिसने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। डॉ. के.एल. उरांव (अ.सा-8) वह गवाह है जिसने अभियुक्त/अपीलकर्ताओं चंद्र

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुमार उर्फ लुशु और संतोष की चिकित्सकीय परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन प्रदर्श पी -15 और प्रदर्श पी -16 दी जिसमें कहा गया था कि वे यौन संबंध बनाने में सक्षम थे। रेतरम (अ.सा-9) और वेद प्रकाश चंद्र (अ.सा-10) प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी -21, जब्ती प्रदर्श पी -22, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी -23 और प्रदर्श पी -24 के गवाह हैं जिन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। सुरेंद्र कुमार साहू (अ.सा-11) कुछ वस्तुओं की जब्ती का गवाह है, जिन्हे प्रदर्श पी -26 और प्रदर्श पी -27 के माध्यम से जब्त किया गया है, जिसने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। डॉ. सरोज कच्छप (अ.सा-12) जिसने अभियोक्त्री की चिकित्सकीय परीक्षण किया और अपनी प्रतिवेदन प्रदर्श पी -28 दी है, ने कहा कि उसके शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं थी, उसका हाइमन पुराना फटा हुआ था और उसके साथ बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती थी। हालांकि, उसने कहा है कि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यदि किसी कुंवारी लड़की के साथ तीन व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है, तो उसके गुप्तांगो पर कुछ चोटें लगना निश्चित है और वह ठीक से चल नहीं पाएगी। उसके अनुसार, अभियोक्त्री के मूत्र परीक्षण में, वह गर्भवती पाई गई और इसलिए उसे सोनोग्राफी के लिए भेजा गया। एस.पी. खाखा (अ.सा-13) अन्वेषण अधिकारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हैं जिन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। रमेश प्रसाद साहू (अ.सा-14) पटवारी हैं जिन्होंने मौका नक्शा प्रदर्श पी -4 तैयार किया था। सुरेश पाठक (अ.सा-15) वह पुलिस आरक्षक है जिसकी उपस्थिति में कुछ सामान जब्त किए गए थे। महेश चंद्र (अ.सा-16) वह गवाह है जो अभियोक्त्री के साथ चिकित्सा परीक्षण के लिए अस्पताल गया था। डॉ. आर.एल. ठाकुर (अ.स -17) वह गवाह है जिसने अभियुक्त चंद्रशेखर की चिकित्सकीय जांच की और अपना प्रतिवेदन प्रदर्श पी -36 दी जिसमें कहा गया था कि वह यौन संबंध बनाने में सक्षम था। उप–निरीक्षक एम.एल. श्रीवास्तव (अ.सा-18) वह गवाह है जिसने इस मामले में अन्वेषण का कुछ हिस्सा किया है। डॉ. जी.एम. खाखा (अ.सा-19) वह रेडियोलॉजिस्ट है जिसने अभियोक्त्री की सोनोग्राफी की और अपना प्रतिवेदन प्रदर्श पी -39 दी जिसमें कहा गया था कि वह गर्भवती नहीं पाई गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, विशेषकर पीड़िता के साक्ष्यों की बारीकी से जांच करने पर यह न्यायालय यह मानता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी अत्यधिक असंभाव्य और अविश्वसनीय होने के कारण इस न्यायालय का विश्वास प्रेरित नहीं करती है। पीड़िता के अनुसार सभी अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा बलात्कार किए जाने के बाद उसे मोटरसाइकिल पर सक्ती ले जाया गया और अपनी दो घंटे लंबी यात्रा के दौरान वह कई

लोगों से मिली लेकिन उसने किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई शोर नहीं मचाया। इसी तरह, सक्ती, दिल्ली और जम्मू के रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ ट्रेन में भी वह सह-यात्रियों के बीच रही होगी, लेकिन इस बार भी उसने चुप्पी साधे रखी और अभियुक्त/अपीलकर्ता चंद्र शेखर के चंगुल से छूटने के लिए कुछ नहीं किया। उसके अनुसार, वह जम्मू रेलवे स्टेशन पर अपने चाचा से मिली, लेकिन यह आश्चर्य का विषय है कि वह अचानक पीड़िता को लेने के लिए रेलवे स्टेशन कैसे पहुंच गए और हालांकि घटना उसके द्वारा उन्हें बताई गई थी, फिर भी उन्होंने उसके साथ 4-5 दिन रहने के बावजूद शिकायत दर्ज नहीं कराई। इसी तरह, पीड़िता की मां और पिता के साक्ष्य से पता चलता है कि गुमशुदगी की सूचना तुरंत दर्ज की गई थी, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई सूचना अभिलेख पर नहीं है। रमेश चंद्र (अ.सा-4) जो पीड़िता के चाचा हैं, के साक्ष्य के अनुसार, पीड़िता के उनके पास पहुंचने के बाद फोन पर कभी भी पीड़िता के माता-पिता से बात नहीं हुई, जबकि उसकी मां और पिता के साक्ष्य के अनुसार उन्हें पीड़िता के लापता होने के बारे में तुरंत जानकारी दी गई थी, जिन्होंने बदले में उन्हें सूचित किया था कि पीड़िता उनके पास है और वह खुद पीड़िता को घर छोड़ने आए थे। इसके अलावा, अभिलेख से पता चलता है कि घटना दिनांक 25/11/2005 को हुई थी, जबकि लिखित शिकायत दिनांक 11/12/2005 को यानी लगभग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16 दिनों के अत्यधिक विलंब के बाद दर्ज की गई थी, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा, यदि पीड़िता के साथ दिनांक 25/11/2005 को तीन व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया होता, तो वह जम्मू पहुंचने के बाद जल्द से जल्द, किसी भी स्थिति में दिनांक 27/11/2005 तक शिकायत दर्ज करा देती। पीड़िता के अनुसार, उसके साथ अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा पहली बार बलात्कार किया गया था और इससे पहले उसके किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं थे, जबकि महिला डॉक्टर, जिसने उसकी चिकित्सकीय जांच की थी, के अनुसार उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई और इस तरह पीड़िता का बयान झूठा साबित होता है। पीड़िता और अन्य गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास और विलोपन प्रतीत होती है और ऐसा होने पर इस न्यायालय के लिए उन पर आँख बंद करके भरोसा करना और नीचे दिए गए न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं होगा, जिसमें अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है। जहां तक पीड़िता की उम्र का सवाल है, उसने खुद कहा है कि घटना की तारीख को उसकी उम्र 18 साल थी और अभियोजन पक्ष ने भी इसके विपरीत कुछ भी सामने नहीं लाया है जिससे यह पता चले कि वह उस समय नाबालिग थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर यह न्यायालय इस अकाट्य निष्कर्ष पर पहुंचता है कि गवाहों, विशेषकर पीड़िता, उसकी मां, पिता और चाचा के साक्ष्य, विरोधाभासों और विलोपन भरे होने के कारण इतने अविश्वसनीय हैं कि वे इस न्यायालय का विश्वास प्रेरित नहीं करते हैं ताकि आपेक्षित निर्णय को बरकरार रखा जा सके। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। आपेक्षित निर्णय एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को उन पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के जेल में होने की सूचना है। यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधिपति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ..... Pritika Pandya

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur